



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

- नकुड में महिला को गोली मारने वाले 25,000 के ईनामी शातिर कादिर को पुलिस मुठभेड में लगी गोली ।
- फतेहपुर और बिहारीगढ पुलिस द्वारा पुलिस कार्यवाही ।

बरामदगी:-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा/02 खोखा कारतूस 315 बोर
- चोरी की 01 मोटरसाकिल
- 01 मोबाईल फोन बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार गश्त व सघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 20/21.02.2024 की रात्रि को जब थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर फतेहपुर-बिहारीगढ हाईवे पर शाकुम्भरी कालेज के पास वांछित अपराधी की धरपकड हेतु चैकिंग की जा रही थी तभी मोटरसाकिल सवार समीप आते 01 सदिग्ध व्यक्ति को पुलिस टीम द्वारा रूकने का ईशारा किया गया। अचानक मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई व बिहारीगढ की तरफ भागने लगा। थानाध्यक्ष फतेहपुर द्वारा तत्काल बिहारीगढ पुलिस को सूचना देते हुए बदमाश का पीछा किया गया तो मीरपुर के पास बदमाश स्वयं को दोनो ओर से पुलिस से घिरा देख आम के बाग में छिप गया। पुलिस टीम द्वारा बदमाश को आत्मसमर्पण हेतु कहा गया तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर पुनः फायरिंग कर दी गई। पुलिस द्वारा जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग मे बदमाश को बायें पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश की पहचान कादिर पुत्र मदन उर्फ इरशाद निवासी बीरखेडी थाना नकुड, सहारनपुर के रूप में हुई है। घायल बदमाश को उपचार हेतु चिकित्सालय भर्ती कराया गया है। अभियुक्त कादिर उपरोक्त थाना नकुड पर पंजीकृत मु0अ0सं0 17/2024 धारा 323/504/506/307 भादवि में ग्राम टिडौली में गोली मारकर एक महिला को घायल कर देने व मारपीट के अभियोग का वांछित अभियुक्त है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0-26/2024 धारा 307/414/ 465 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम कादिर के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त कादिर उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मेरा व मेरे साथियों का 26.01.2024 तारीख को ग्राम टिडौली में गांव के सुहेल व वासिल के साथ झगड़ा हो गया था, इसलिए हमने योजना के तहत दबंगई दिखाते हुए जान से मारने की नियत से सुहेल व वासिल के ऊपर गोली चला दी थी, लेकिन वहां एक महिला को गोली के लग गई थी और हम वहां से भाग गये थे। मेरे अन्य साथी पहले ही पकड़े गये हैं और मुझे पता था कि पुलिस मेरी तलाश कर रही है, इसलिए आज मैं छुपते छुपाते हुए कहीं भागने की फिराक में था। पुलिस टीम को सामने से आता देख मैंने पकड़े जाने के डर से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी।

अभियुक्त का नाम व पता:-

कादिर पुत्र मदन उर्फ इरशाद निवासी बीरखेड़ी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कादिर उपरोक्त:-

1. मु0अ0स0 95/23 धारा 120बी/307/323 भादवि थाना तीतरों, सहारनपुर
2. मु0अ0स0 18/24 धारा 307/414 भादवि व 3/25/27 आ0 अधि0 नकुड़, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना प्रभारी फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. श्री विनोद कुमार थाना प्रभारी बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री नवीन भाटी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री योगन्द्र चौधरी थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
5. है0का0 445 भूपेन्द्र थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
6. का0 2404 अमित कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
7. का0 2331 लवलेश राठी थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
8. का0 2023 हर्ष तोमर थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
9. का0 2565 उमेश कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
10. का0 चालक 1523 गौरव थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा 02 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्तगण को
किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हुते चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 21.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 02 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्तगण **1.पप्पू उर्फ जमील पुत्र मोहम्मद तेली निवासी उमरी खुर्द थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0-503/1993 मु0अ0सं0-142/2000 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम मा0न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सहारनपुर व **2. नसीम पुत्र शरीफ निवासी घाटेडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0-171/2019 मु0अ0सं0-352/2013 धारा 379 भादवि मा0न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सहारनपुर को थाना क्षेत्र रामपुर मनिहारान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. पप्पू उर्फ जमील पुत्र मोहम्मद तेली निवासी उमरी खुर्द थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. नसीम पुत्र शरीफ निवासी घाटेडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राजेन्द्र कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
3. का0 219 प्रवीण थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
4. का0 2181 ऋषि कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:21-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी (NBW) अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.02.2024 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त पंकज पुत्र कुबेर नि0 ग्राम कुआँखेडा थाना नानौता सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 936/22 व मु0अ0सं0 052/06 धारा 147/442/352 भादवि में ग्राम कुआँखेडा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाहीकर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. पंकज पुत्र कुबेर नि0 ग्राम कुआँखेडा थाना नानौता सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त -

मु0अ0सं0 052/06 धारा 147,352,442 भादवि थाना नानौता, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी -

1. उ0नि0 श्री रामचरण सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर



प्रेस नोट

दिनांक -21.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष चिलकाना श्री कपिलदेव के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अभियुक्त **मोहतसीन पुत्र शहीद गाडा नि0 मो0 हामिद हसन कस्बा व थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** सम्बंधित वाद स0 10826/23 धारा 393 भादवि को मो0 हामिद हसन कस्बा चिलकाना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारन्टी अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

अभियुक्त मोहतसीन पुत्र शहीद गाडा नि0 मो0 हामिद हसन कस्बा व थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 246 हेमन्त कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।



प्रेस नोट

दिनांक: 21.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.02.2024 को थाना बेहट पुलिस द्वारा फरार चल रहे 02 वारण्टी अभियुक्तगण क्रमशः 1. सुक्का उर्फ साजिद पुत्र शकूर तेली निवासी ग्राम रणडौल थाना बेहट जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं0- 2110/23 धारा 60/72 आबकारी अधि0 चालानी थाना चिलकाना मा0 न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर नियत तिथि 02.03.2024 व 2. श्यौराज पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम रूहालाका थाना बेहट जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद0 सं0- 4163/23 धारा 60 आबकारी अधि0 चालानी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर मा0 न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर नियत तिथि 18.03.2024 को क्रमशः ग्राम रणडौल व ग्राम रूहालाका से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त वारण्टी का नाम व पता-

1. सुक्का उर्फ साजिद पुत्र शकूर तेली निवासी ग्राम रणडौल थाना बेहट जिला सहारनपुर
2. श्यौराज पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम रूहालाका थाना बेहट जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 538 प्रदीप हुड्डा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
4. का0 1325 प्रदीप कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 21.02.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा जिलाबदर अभियुक्त के घर पर नोटिस चरपा कर मुनादी
करायी गयी।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में **अभियुक्त फिरोज सिद्दीकी पुत्र मो० अब्बास निवासी देहरादून रोड ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को गुण्डा अधिनियम में प्रभावी निवारक कार्रवाही कर एडीएम महोदय (प्रशासन) के आदेशानुसार जिलाबदर घोषित किए जाने के आदेश के अनुपालन में पुलिस द्वारा अभियुक्त फिरोज सिद्दीकी उपरोक्त के घर पर ढोल, गाजे बाजे आदि से मुनादी करायी गयी तथा अभियुक्त फिरोज सिद्दीकी उपरोक्त के मसकन पर माननीय न्यायालय के आदेश को चरपा किया गया।

जिलाबदर अभियुक्त का नाम व पता:-

फिरोज सिद्दीकी पुत्र मो० अब्बास निवासी देहरादून रोड ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

जिलाबदर अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं०- 17/23 धारा 380/411 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. मु०अ०सं०- 25/23 धारा 380/411 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
3. मु०अ०सं०- 26/23 धारा 380/411 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
4. मु०अ०सं०- 95/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

मुनादी कराने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० धर्मेन्द्र गौतम थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. अति०प्र०नि० संजय कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
3. उ०नि० पीयूष कुमार चौकी प्रभारी टीपीनगर, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
4. है०कां० 218 अय्यूब अली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
5. है०कां० 221 संजीव कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
6. कां० 2364 अनिल कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
7. कां० 2487 अनिल कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चे को मात्र 01.30 घण्टे में बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चलाये जा रहे आपरेशन मुस्कान अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित थाना मण्डी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा हिना हॉजरी के सामने झोट्टेवाला थाना कोतवाली मण्डी क्षेत्र से गुम हुआ बच्चा अब्दुल आहद पुत्र दानिश उम्र 05 वर्ष की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर द्वारा त्वरित एक्शन लेते हुए गुमशुदा बच्चे को तलाश कर उसके पिता दानिश पुत्र जबरदीन निवासी बाजोरिया कॉलेज के पीछे मालवीयनगर थाना को0 नगर सहारनपुर मो0-8869069034 व मामा अब्दुल हफीज पुत्र नजीर अहमद निवासी हिना हॉजरी के सामने झोट्टेवाला थाना मण्डी सहारनपुर मो0-7409108232 को आज दिनांक 21.2.2023 समय शाम करीब 06.00 बजे (1.30 घण्टे में) सुपुर्द किया गया।

गुमशुदा बच्चे का नाम व पता –

अब्दुल आहद पुत्र दानिश उम्र 05 वर्ष निवासी बाजोरिया कॉलेज के पीछे मालवीयनगर थाना को0 नगर सहारनपुर